

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : एफ.4(16)वित्त/राजस्व/2015

जयपुर, दिनांक 6 AUG 2015

आज्ञा


राजस्थान राज्य बीमा और भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.7.2015 की अभिशंसा पर राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग में स्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित पर्यवेक्षकों को वर्ष 2015-16 के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में सहायक निदेशक के पद पर पे-बैंड 3 (15600-39100) ग्रेड-पे 5400 में कार्यभार संभालने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति उपलब्धता तिथि
1.	श्री बिशन सिंह राजपुरोहित	01.04.2015
2.	श्रीमती पद्मा निहलानी	01.04.2015
3.	श्री विनोद कुमार मिश्रा	01.04.2015
4.	श्री रामकिशन शर्मा	01.07.2015
5.	श्री गोपाल लाल जाट	01.07.2015

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter - se-seniority) यथावत रहेगी। पदोन्नति पर सभी परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।


राज्यपाल की आज्ञा से

  
( वेदप्रकाश गुप्ता ) 6/8/15

संयुक्त शासन सचिव  
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.5(138)डीपीसी/2015-16/201 दिनांक 3.8.2015 के क्रम में।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
6/8/15

संयुक्त शासन सचिव  
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग